झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या...36......... वर्ष 20.23....

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री महेश्वर उराँव एवं अन्य
ग्राम - लंका, पंचायत - शंकी कला
प्र० - मनिका, जिला - लातेहार

DISPOSED

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
लातेहार।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
27.07.2023		

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग
कैम्प कार्यालय, लातेहार
वाद सं0– 36/2023

आज दिनांक–27.07.2023 को लातेहार परिसदन भवन में आयोग द्वारा आयोजित जन सुनवाई के दौरान नरेगा सहायता केन्द्र, मनिका के माध्यम से परिवाद पत्रों की सूची एवं उनकी प्रति आयोग को उपलब्ध कराई गई। उपलब्ध कराए गये सूची में आयोग को व्हाटसएप्प के माध्यम से पूर्व प्रेषित परिवाद पत्रों का उल्लेख है। सूची में श्री महेश्वर उराँव एवं अन्य के परिवाद पत्र का उल्लेख है। सूचित किया गया है कि मामले की सुनवाई आयोग स्तर पर की गई थी, परन्तु आयोग के आदेश का अनुपालन नहीं हुआ।

परिवादी द्वारा उपलब्ध कराए गये कागजात से स्पष्ट है कि पूर्व में इस मामले की सुनवाई आयोग के स्तर पर वाद सं0–25/2023 के माध्यम से की गई थी। वाद सं0–25/2023 में दिनांक–20.07.2023 को सुनवाई के पश्चात् अंतिम आदेश पारित किया गया था। आयोग की सुनवाई में उस दिन अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। जबकि शिकायतकर्ता श्री महेश्वर उराँव टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई में जुड़े थे। दिनांक–20.07.2023 को हुई सुनवाई में अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने लिखित एवं मौखिक रूप से आयोग को बताया था कि सभी शिकायतकर्ता को अनाज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। शिकायतकर्ता ने भी अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी की पुष्टि की थी। आयोग ने शिकायतकर्ता को निर्देश दिया था कि राशन का उठाव कर लें, इस निर्देश के साथ आयोग ने वाद निष्पादित कर दिया था।

आयोग के वाद को निष्पादित करने के बाद Right to Food Activist एवं अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी उपलब्ध कराई गई थी कि आयोग द्वारा बिना राशन उपलब्ध कराए ही वाद को निष्पादित कर दिया गया था। आयोग ने जब इस मामले में शिकायतकर्ता

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	से वस्तुस्थिति की जानकारी लेनी चाही, तो शिकायतकर्ता ने कहा कि आयोग के निर्देश के आलोक में स्थानीय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी उनके गाँव आए थे एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने सभी से राशन लेने का आग्रह किया था। किन्तु शिकायतकर्ता के परिवार में आकस्मिक घटना होने के कारण राशन नहीं ले पाए। शिकायतकर्ता द्वारा दी गई जानकारी के बाद आज की जनसुनवाई में शिकायतकर्ता की सहमति से सोमवार दिनांक–31.07.2023 को सभी शिकायतकर्ता जिनकी सं0 कुल–35 है, उन सभी से आयोग आग्रह करता है कि उपरोक्त तिथि को अपराह्न 12.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे के बीच राशन डीलर के यहाँ पहुँच कर अपना बकाया राशन सवा गुणा मुआवजा के साथ प्राप्त कर लें। आयोग अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को निर्देश देता है कि दिनांक–31.07.2023 को अपराह्न 12.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे के बीच वे स्वयं या अपने किसी अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में बकाया राशन सवा गुणा मुआवजा के साथ उपलब्ध कराएँ। यदि इस दिन अनाज वितरित नहीं किया जा सका, तो आयोग अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई करने को बाध्य होगा। शिकायतकर्ता श्री महेश्वर उराँव का कहना है कि उनके राशन कार्ड में कुल–07 लोगों का नाम अंकित है, जबकि पिछले 07 वर्षों से 06 लोगों का ही राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। आयोग अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को निर्देश देता है कि इस मामले की जाँच कर यदि शिकायतकर्ता द्वारा उठाया गया बात प्रमाणित होता है, तो 01 व्यक्ति को कम दिये जा रहे अनाज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, वो भी सवा गुणा मुआवजा के साथ। यदि 07 वर्षों से अनाज नहीं मिला है, तो 07 वर्षों का अनाज सवा गुणा मुआवजा के साथ उपलब्ध कराएँ। यह भी सुनिश्चित करें कि यदि 07 लोगों का अनाज दिया जाना है तो भविष्य में सभी 07 लोगों का अनाज दिया जाय। यदि डीलर द्वारा अनियमितता की गई है, तो डीलर के विरूद्ध भी कार्रवाई की जाय। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court note.docx36	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	शिकायतकर्ता का कहना है कि उनके साथ–साथ उनके भाई एवं गाँव के कई लोगों की यह शिकायत है कि राशन कार्ड में अंकित संख्या में से कम लोगों को अनाज उपलब्ध कराया जाता है। आयोग ने शिकायतकर्ता से आग्रह किया है कि अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार दिनांक–31.07.2023 को जब राशन वितरण कराने जायेंगे, तो सभी ग्रामीण विशेष कर उन्हें, जिनको जनवितरण प्रणाली से सम्बन्धित शिकायत हो, तो उन्हें एकत्रित कर लें, ताकि जनवितरण प्रणाली से सम्बन्धित शिकायत सामने आ सके एवं उनका समाधान हो सके। इस निदेश के साथ आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyauf\Vinod Sir\Court note.docx37	